SBCivil Writ Petition No.5093/2006

Sudhir Kumar Sethi
Vs.
State of Rajasthan & Ors.

Date of Order :: 7th September, 2006

HON'BLE MR.JUSTICE GOVIND MATHUR

Mr. Ramandeep Singh Sidhu, for the petitioner.

....

By this petition for writ challenge is given to the correctness, validity and propriety of the order dated 25.7.2006 whereby learned Civil Judge (SD), Bikaner accepted an application preferred by Shri Rajendra Kumar Sethi under Order 1 Rule 10 CPC to become party as defendant to the suit proceedings. Learned trial court for the reasons discussed as under accepted the application:-

> "वादी ने राजस्थान सरकार व उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला, के विरूद्ध यह अनुतोष चाहा है कि उनके द्वारा पारित दिनांक 13-3-06 को पारित किया गया आदेश न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत हैं। जो आदेश उसके विरूद्ध पारित किया गया है उसे वापस लिया जाए। यह आदेश सिनेमा को चलाने के संबंध में है और यह स्वीकृत स्थिति है कि लाईसेंस व पानी, बिजली के कनेक्शन राजेन्द्र कुमार, के नाम से हैं। निश्चित रूप से यह प्रकरण स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है, लेकिन जिस प्रकार से दसतावेजात के आधार पर राजेन्द्र कुमार सेठी, का स्वामित्व प्रथम दृष्टया प्रकट हो रहा है। यदि उसे पक्षकार नहीं बनाया गया तो इस प्रकरण में वास्तविक निर्णय पारित किया जाना संभव नहीं हैं। जहाँ तक स्थाई निषेधाज्ञा के वाद का स्वामित्व के वाद में परिवर्तित होने का प्रश्न हैं। मेरे विनम्र मतानुसार राजेन्द्र कुमार, को पक्षकार बनाने से यह वाद

स्वामित्व के वाद में परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई अनुतोष वादी द्वारा नहीं चाहा गया हैं। जो अनुतोष पक्षकारों द्वारा नहीं मांगा गया है उस अनुतोष को न्यायालय भी प्रदान नहीं करता हैं। जहाँ तक प्रकरण के विलम्बित होने का प्रश्न हैं। अब प्रकरण प्रारम्भिक अवस्था में है और राजेन्द्र कुमार, को पक्षकार बनाने पर उसकी ओर से जवाब ही प्रस्तुत किया जाना है, ज्यादा से ज्यादा वादी उसका जवाबबुल जवाब प्रस्तुत कर सकेगा। इस प्रकार वादी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नजर नहीं आती है। परंतु राजेन्द्र कुमार, को पक्षकार नहीं बनाया गया तो न तो प्रकरण में वास्तविक निर्णय हो पावेगा, न ही उसे सुनवाई का अवसर मिल सकेगा। क्योंकि भवन की खस्ता हालत को देखते हुए भविष्य में होने वाले नुकसान से लाईसेंस धारक बच नहीं सकता हैं।"

While giving challenge to the order impugned it is stated by learned counsel for the petitioner that inclusion of Shri Rajendra Kumar Sethi as defendant will change the nature of the suit and shall also cause unwarranted delay in its adjudication.

Heard counsel for the petitioner.

I do not find any force in the contention raised by the petitioner as the trial court on basis of the documents produced before it reached at the conclusion that prima facie Shri Rajendra Kumar Sethi appears to have title over the property in question and while making such observation learned trial court in quite unambiguous terms reached at the conclusion that no change in nature of suit shall occur as no

relief is sought by the plaintiff in suit to decide title of the property in question. In totality of facts of the case I do not find any error in the order impugned which may warrant interference of this Court under Article 227 of the Constitution of India.

The writ petition is accordingly dismissed.

(GOVIND MATHUR),J.

kkm/ps.